न्यायालय उपखण्डअधिकारी एवम् पदेनसहायककलक्टरपीलीबंगा

पीठासीनअधिकारी :–अमिताबिश्नोईआर.ए.एस.

प्रार्थनापत्र संख्या :–09 / 2023

1. आराधना उम्र 10 वर्ष | पुत्रीयां अग्रेजसिंह पुत्र मेहरसिंह, अकवामें रायसिख,
2. मनप्रीतकौर उम्र 05 वर्ष | साकिनान चक 34 एसटीजी,

नाबालिग जरिये कुदरती संरक्षक नानी रघुवीरकौर पत्नी श्री कश्मीरसिंह, जाति रायसिख, साकिन अमरपुरा ढाणी चक 33 एसटीजी, तहसील पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. अग्रेजसिंह पुत्र मेहरसिंह,
2. अमरजीतकौर पत्नी बैवा मेहरसिंह
3. बुटासिंह पुत्र मेहरसिंह
4. परमजीतसिंह पुत्र मेहरसिंह

अकवामें रायसिख, साकिनान 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ

5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक एसबीआई, पीलीबंगा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा ।
7. उप पंजीयक पीलीबर्गा

–अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबतअस्थाईनिषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री अशोक चालिया ——प्रार्थीगण
2. श्री जगराज सिंह भारी ——अप्रार्थी सं. 1 ता 4
3. राजपैरोकारतहसीलदारपीलीबंगा। ——अप्रार्थी संख्या 6

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 20-05-2025

प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री आशोक चालिया की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा उक्त अनवान का वाद पत्र बाबत् शाश्वत व्यादेश का श्रीमान् न्यायालय किया जा चुका है, जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा व ठोस आधार प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण स. 1 ता 4 का सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है। यह कि प्रार्थीगण के दादा श्री मेहरसिंह के नाम से 139 आरडी व चक 21 पीबीएन एवं चक 34 एसटीजी में खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। प्रार्थीगण के दादा की मृत्यु दिनांक 16.01.2004 को हो चुकी है। प्रार्थीगण के दादा मेहरसिंह की मृत्योपरांत अप्रार्थीया सं. 2 अमरजीत कौर ने प्रार्थीगण के दादा की चक 139 आरडी व 21 पीबीएन स्थित भूमि अकेले अपने नाम राजस्व रिकार्ड में करवाकर खुर्द–बुर्द कर दी एवं चक 34 एसटीजी की भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के नाम विरासतन दर्ज हुई। यह कि प्रार्थीगण के दादा मोहरसिंह के नाम दर्ज तहसील पीलीबंगा के चक 34 एसटीजी के प.न. 7 / 340(13) के किला न. 7 / 0.253,8 / 0.253,25 / 1 / 0.1010,25 / 3 / 0. 0250 कुल 0.6320 हैव., प.न. 7 / 341 (21) के किला न. 4 / 0.253 प.न. [illegible] 12) के किला न.14 / 0.253, 17 / 0.253, 21 / 1 / 0.0760 की कुल 0.5820 हैव. [illegible] पत्थरों की कुल 1.4660 हैव. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम ब[illegible] राजस्व रिकार्ड है व इसी चक के प.न.8 / 340 (12) के किला न. 16 [illegible] 0.506 हैव., प.न. 8 / 3[illegible] के किला न. 5 / 2 / 025 हैव. इस प्रकार दोनों पत्थरों [illegible] कुल 0.531 हैव. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम बहिब 1 / 5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद स.4 मे वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण के दादा श्री मेहरसिंह के फौत होने के बाद अप्रार्थी स.1 अंग्रेजसिंह व अन्य अप्रार्थीगण को विरासतन प्राप्त हुई है। अप्रार्थी सं. 1 को विरासतन प्राप्त हुई उक्त कृषि भूमि में हम प्रार्थीगण का का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:54:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण वाद के अन्तिम निर्णय तक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण स.1 ता 4 की तहसील पीलीबंगा के चक 34 एसटीजी के प.न. 7/340(13) के किला न. 7/0.253, 8/0. 253,25/1/01010, 25/3/0.0250 कुल 0.6320 हैक., प.न.7/341 (21) के किला न. 4/0. 253 प.न. 8/340 (12) के किला न.14/0.253, 17/0. 253, 21/1/00760 की कुल 0. 5820 हैक. तीनों पत्थरों की कुल 1.4660 हैक. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम ब. हिस्सा बराबर-बराबर विरासतन दर्ज राजस्व रिकार्ड है व इसी चक के प.न.8/340 (12) के किला न.16, 25 की कुल 0.506 हैक., प.न. 8/341(22) के किला न. 5/2/025 हैक. इस प्रकार दोनों पत्थरों की कुल 0.531 हैक. कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम बहिब 1/5 हिस्सा कृषि भूमि में से 1/4 भूमि में से 2/3 हिस्सा कृषि भूमि को ता फैसला वाद रहन-बैय- अंतरण न करें तथा ना ही राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन करावें । श्रीमान जी कि अति कृपा होगी। श्रीमान् जी कि अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया अधिवक्ता प्रार्थी की बहस वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई जिसपर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी शुदा है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्त हाजिर आये वकालतनामा शामिल वाद है। जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 प्रस्तुत किया गया है जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 की और निम्न प्रकार से है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश होना स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की कोई सम्भावना नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित सजरा खानदान स्वीकार है। परमजीत कौर जो कि अप्रार्थी सं.1 की पत्नी थी ने अप्रार्थी सं.1 से बिना किसी विधिवत तलाक लिये पुनर्विवाह कर लिया है जो विवाह शुरू से ही शुन्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में अस्वीकार है। मेहर सिंह के नाम चक 139 आरडी व चक 21 पीबीएन की कृषि भूमि को मेहर सिंह की मृत्यु के पश्चात खुर्द बुर्द नही किया है। पारिवारीक जरूरतो को पूरा करने के लिये उक्त कृषि भूमि का बेचान किया गया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 मुताबिक राजस्व रिकार्ड स्वीकार है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित चक 34 एसटीजी की कुल 1.460 हैक. कृषि भूमि में से 0.3665 हैक. कृषि भूमि व इसी चक में 0.531 हैक. कृषि भूमि में 0.02605 हैक. कृषि भूमि अप्रार्थी सं.1 के हिस्सा में आई है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.1 के पिता मेहर सिंह से प्राप्त कृषि भूमि है स्वीकार है। अप्रार्थी सं.1 से बिना किसी विधिवत तलाक करवाये प्रार्थीगण की माता परमजीत कौर यानी अप्रार्थी सं.1 की पत्नी परमजीत कौर ने अन्य किसी पुरुष से शादी कर ली है। अप्रार्थी सं.1 भी अपनी पारिवारीक जरूरतो के अनुसार शादी करने की ईच्छा रखता है। इस प्रकार से जब अप्रार्थी सं.1 द्वारा किसी महिला के साथ शादी की जाती है तो अप्रार्थी सं.1 की पत्नी के नुत्फे से पैदा होने वाली सन्तानो का भी अप्रार्थी सं.1 की कृषि भूमि में प्रार्थीगण के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा होगा। अगर आज प्रार्थीगण का हिस्सा शाखावार बांट दिया जाता है तो अप्रार्थी सं. 1 के बाद में पैदा होने वाली सन्तानो का हिस्सा खत्म हो जायेगा। जिससे अप्रार्थी सं. 1 के दूसरी शादी के बाद मे पैदा होने वाली सन्तानो को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थीगण का आज कोई काल्पनिक हिस्सा अप्रार्थी सं.1 की कृषि भूमि में नही किया जा सकता। हिस्सा तय न होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। अप्रार्थी सं.1 की पत्नी द्वारा बिना किसी विधिवत तलाक न होने के पश्चात भी शादी की है परन्तु यह शादी शुरू से ही शुन्य है। इसलिये प्रार्थीगण के प्राकृतिक सरक्षक माता पिता है। माता- पिता प्राकृतिक सरक्षक न होने के पश्चात ही नानी जरिये सरक्षक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है। इसलिये नानी रघुवीर कौर द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है। प्रार्थीगण के विरूद्व अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 2 ता 4 की किसी प्रकार की कोई मिलीभगत नही है। प्रार्थीगण का गलत उपयोग करते हुए नानी द्वारा अपनी निजि ईच्छाओ की पूर्ति करने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी सं.1 जो आज भी माता के पश्चात दूसरा प्राकृतिक सरक्षक है अपनी दोनो पुत्रीयों की सार

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:54:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

सम्भाल करने में सक्षम है। इसलिये प्रार्थना पत्र बिना किसी मूलभूत आधार के पेश किया है जो शुरू से ही काबिल खारिज के है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 अस्वीकार है। अप्रार्थी सं.1 द्वारा अपनी कृषि भूमि पर साधिकार काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं.1 को अपने नाम वर्णित कृषि भूमि को कही भी बेचने की जरूरत नही है प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 अस्वीकार है। प्रार्थीगण को कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण हासिल नही है मात्र तथ्यो को रंगत देने के लिये झूठे व मिथ्या कथन अकिंत किये है। माता पिता के जीवनकाल में नानी जरिये कुदरति सरंक्षक प्रार्थना पत्र नही प्रस्तुत कर सकती। यह कि वाद पत्र की दफा 9 कानूनी है। यह कि वाद पत्र की दफा 10 अस्वीकार है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी श्री जगराज सिंह भारी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 की और से प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार से है –यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश होना स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की कोई सम्भावना नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित सजरा खानदान स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में अस्वीकार है। मेहर सिंह के नाम चक 139 आरडी व चक 21 पीबीएन की कृषि भूमि को मेहर सिंह की मृत्यु के पश्चात खुर्द बुर्द नही किया है। पारिवारीक जरूरतो को पूरा करने के लिये उक्त कृषि भूमि का बेचान किया गया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 मुताबिक राजस्व रिकार्ड स्वीकार है। जो अप्रार्थी सं. ता 4 को ब.हि. ब. प्राप्त हुई है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.2 के पति, 3 व 4 के पिता मेहर सिंह से प्राप्त कृषि भूमि है स्वीकार है। अप्रार्थी सं.1 से बिना किसी विधि वत तलाक करवाये प्रार्थीगण की माता परमजीत कौर यानी अप्रार्थी सं.1 की पत्नी परमजीत कौर ने अन्य किसी पुरूष से शादी कर ली है। अप्रार्थी सं.1 भी अपनी पारिवारीक जरूरतो के अनुसार शादी करने की ईच्छा रखता है। इस प्रकार से जब अप्रार्थी सं.1 द्वारा किसी महिला के साथ शादी की जाती है तो अप्रार्थी सं.1 की पत्नी के नुत्फे से पैदा होने वाली सन्तानो का भी अप्रार्थी सं.1 की कृषि भूमि में प्रार्थीगण के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा होगा। अगर आज प्रार्थीगण का हिस्सा शाखावार बांट दिया जाता है तो अप्रार्थी सं.1 के बाद में पैदा होने वाली सन्तानो का हिस्सा खत्म हो जायेगा। जिससे अप्रार्थी सं.1 के दूसरी शादी के बाद मे पैदा होने वाली सन्तानो को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थीगण का आज कोई काल्पनिक हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि में तय नही किया जा सकता। हिस्सा तय न होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है । अप्रार्थी सं.1 की पत्नी द्वारा बिना किसी विधि वत तलाक न होने के पश्चात भी शादी कर ली है परन्तु यह शादी शुरू से ही शुन्य है। इसलिये प्रार्थीगण की प्राकृतिक सरक्षंक माता या पिता है। माता – पिता प्राकृतिक सरंक्षक न होने के पश्चात ही नानी जरिये सरंक्षक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है इसलिये नानी रघुवीर कौर द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र काविल खारिज है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है। प्रार्थीगण के विरूद्ध अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 2 ता 4 की किसी प्रकार की कोई मिलीभगत नही है। अप्रार्थी सं. 2 ता 4 को प्रार्थीगण अपने पिता अप्रार्थी सं.1 से अपना पैतृक हिस्सा प्राप्त करने के पश्चात खाता विभाजन हो इसलिये पक्षकार बनाया गया है। जब तक किसी प्रकार का कोई हिस्सा घोषित नही हो जाता तब तक किसी प्रकार का कोई खाता विभाजन नही हो सकता ना ही प्रार्थीगण किसी प्रकार का खाता विभाजन करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का गलत [illegible] करते हुए नानी द्वारा अपनी निजि ईच्छाओ की पूर्ति करने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी सं.1 जो आज भी माता के पश्चात दूसरा प्राकृतिक संरक्षक होने के नाते ही सार सम्भाल करने में सक्षम है। इसलिये प्रार्थना पत्र बिना किसी मूलभूत आधार के पेश किया जो शुरू से ही काबिल खारिज के है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 2 ता 4 द्वारा अपनी कृषि भूमि पर साधिकार काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं. 2 ता 4 को अपने नाम वर्णित कृषि भूमि को कही भी बेचने की जरूरत नही है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेध आज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 अस्वीकार है। प्रार्थीगण को कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण हासिल नही है मात्र तथ्यो को रंगत देने के लिये झूठे व मिथ्या कथन अकिंत किये है। माता पिता के जीवनकाल में नानी जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:54:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

कुदरति सरंक्षक प्रार्थना पत्र नही प्रस्तुत कर सकती। यह कि वाद पत्र की दफा 9 कानूनी है। यह कि वाद पत्र की दफा 10 अस्वीकार है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

स्टेट जवाब प्राप्त हो चुका है मुताबिक स्टेट जवाब रास्ता, खाला की सुविधा, पैतृक भूमि के अलावा अन्य भूमि हो तो राज्य हित को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र का निस्तारण किया जाता है तो स्टेट को काई आपत्ति नहीं है।

आदेश

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया कि नानी के जरिये रकबा बैचान कर रहें है। अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला कंफर्म की जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्राकृतिक माता–पिता जीवित है जिनके जिवित रहते वाद मित्र दावा नहीं ला सकतें है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि बिना कोर्ट की अनुमति के दावा नहीं प्रस्तुत करे सकते है। प्रार्थीगण 2/3 हिस्सा के हकदार नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला चलने योग्य नही है प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया है। बहस पर मनन व बाद पत्रावली व वाद पत्र का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थीगण परिवार की सहदायिकी सदस्य है। प्रार्थीगण नाबालिग है जिसके हितो की रक्षा करना नितातं आवश्यक है। प्रश्नगत रकबा में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा सकती है स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनर्फम किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 12.01.2023 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 20.05.2025 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:54:38 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
पीलीबंगा